संख्या-2/2026/I/1193260/2026-001-10-24099-59-2024

प्रेषक,

जय शंकर दुबे,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा,

उ0प्र0, लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 05 जनवरी, 2026

विषय:- विभागाध्यक्ष/निदेशक के उपयोगार्थ वाहन क्रय किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-398/लेखा-2, दिनांक 28.10.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभागाध्यक्ष/निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 के लिये 01 अदद वाहन टोयोटा इनोवा किर्स्टा (जी-1 एम०टी०, 7एस) क्रय किये जाने हेतु रुपये 17,87,719.00 (रुपये सत्रह लाख सत्तासी हजार सात सौ उन्नीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि विभागाध्यक्ष/निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 के लिये 01 अदद वाहन टोयोटा इनोवा किर्स्टा (जी-1 एम०टी०, 7एस) को जेम पोर्टल पर उपलब्ध अपेक्षित मानक के अनुरूप क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-65 के लेखाशीर्ष-4070 (सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान) के मानक मद-14 "मोटर गाड़ियों का क्रय" के अंतर्गत प्रावधानित रुपये 110.00 लाख में से रुपये 17,87,719.00 (रुपये सत्रह लाख सत्तासी हजार सात सौ उन्नीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त धनराशि को व्यय करने में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/ बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के सुसंगत प्रावधानों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार क्रय की कार्यवाही की जाएगी।

(3) निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 द्वारा GeM की दरों की अनुमन्यता एवं वैधता अपने स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी तथा जेम पोर्टल से सम्बन्धित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(5) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये निदेशक, सहकारी समितियॉं एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

(6) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 17,87,719.00 (रुपये सत्रह लाख सत्तासी हजार सात सौ उन्नीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-65 लेखा शीर्षक 4070008000300 (सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान) मानक मद-14 ''मोटर गाड़ियों का क्रय'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
जय शंकर दुबे
विशेष सचिव।

संख्या- 2/2026/I/1193260/2026-001-10-24099-59-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
जय शंकर दुबे
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।